

न्यायालय:- प्रथम अपर जिला न्यायाधीश, गोहद, जिला भिण्ड म0प्र0

समक्ष- वीरेन्द्र सिंह राजपूत

विविध व्यवहार अपील क्र0-03/2016

संस्थापन दिनांक 14.01.2016

01 बालो पुत्र उमराय, उम्र 71 वर्ष, निवासी वार्ड न. 3
गोहद, जिला भिण्ड म0प्र0

.....अपीलार्थी / वादी

वि-रू-द्ध

- 01 रायसिंह पुत्र उदयसिंह, उम्र 46 वर्ष।
- 02 शिवराज सिंह पुत्र केदार सिंह, उम्र 61 वर्ष।
- 03 अशोक पुत्र रामेश्वरदयाल गुप्ता, उम्र 41 वर्ष।
- 04 प्रकाश पुत्र विजय सिंह, उम्र 51 वर्ष।
- 05 रामेश्वरसिंह पुत्र साधूसिंह, उम्र 51 वर्ष।
- 06 शंकर सिंह पुत्र साधूसिंह, उम्र 46 वर्ष।
- 07 इन्द्रपालसिंह पुत्र गोविंद सिंह, उम्र 46 वर्ष।
- 08 मुन्नासिंह पुत्र बैजनाथ सिंह, उम्र 41 वर्ष।
- 09 बाबूसिंह पुत्र बैजनाथ सिंह, उम्र 46 वर्ष।
- 10 भूरसिंह पुत्र बैजनाथ सिंह, उम्र 41 वर्ष।
- 11 बेदराम पुत्र फेरनसिंह, उम्र 46 वर्ष।
- 12 डॉ० महेश पुत्र सुन्नीलाल, उम्र 46 वर्ष।
- 13 बसीम खॉ पुत्र बसारत खॉ उर्फ बस्सू, उम्र 31
वर्ष। समस्त निवासीगण संतोष नगर वार्ड 05 मौ
रोड गोहद, जिला भिण्ड म0प्र0

.....प्रत्यर्थीगण / प्रतिवादीगण

अपीलार्थी द्वारा श्री यजवेन्द्र श्रीवास्तव अधि०
प्रत्यर्थी 1,3,8,10,12 द्वारा श्री अखिलेश समाधिया अधि.
प्रत्यर्थी क. 11, 13 द्वारा श्री धर्मेन्द्र श्रीवास्तव, श्री पी.एन.
भट्टेले एवं प्रत्यर्थी क. 2, 4, 5, 6, 7, 9 पूर्व से एकपक्षीय।

आ-दे-श**(आज दिनांक 13/09/2017 को पारित किया गया)**

01. अपीलार्थी की ओर से यह विविध व्यवहार अपील अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1, गोहद (सुश्री प्रतिष्ठा अवस्थी) द्वारा व्यवहारवाद प्रकरण क्र0 164-ए/2015 में पारित आदेश दिनांक 15.12.2015 से व्यथित होकर प्रस्तुत की गई है जिसके द्वारा अधीनस्थ न्यायालय ने वादी/अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत आवेदन पत्र अंतर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 सहपठित धारा 151 सी.पी.सी. निरस्त किया है।
02. वादी/अपीलार्थी की ओर से अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत वाद संक्षेप में इस प्रकार से रहा है कि वादी कस्बा गोहद स्थिति भूमि सर्वे क्रमांक 869 रकवा 2 बीघा 13 विश्वा का स्वत्व एवं आधिपत्यधारी है। उक्त विवादित भूमि पर संलग्न मानचित्र में प्रदर्शित जगह पर प्रतिवादीगण ने जबरन निर्माण कार्य कर लिया है तथा भूमि सर्वे क्र. 728 रकवा 2 बीघा 6 विश्वा एवं सर्वे क्र. 735 रकवा 1 बीघा 7 विश्वा के वादी के पिता पक्के कृषक होकर भूमिस्वामी एवं आधिपत्यधारी थे जिसे शासन द्वारा प्र.क्र. 19079 दिनांक 20.08.63 द्वारा अधिग्रहण कर चंबल कॉलोनी को दे दी गई थी एवं उक्त भूमि के स्थान पर वादी के पिता को सर्वे क्र. 869 रकवा 2 बीघा 13 विश्वा भूमि दी गई थी और इस प्रकार उसके पिता उक्त भूमि पर पक्के कृषक होकर भूमिस्वामी एवं आधिपत्यधारी हो गए थे। सर्वे क्र. 728 व 735 पर विवाद उत्पन्न हो गया जिसका प्रकरण वादी द्वारा न्यायालय में प्रकरण संचालित किया गया था। उक्त वाद की द्वितीय अपील मान. उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर में संचालित है जिसमें अपीलीय न्यायालय द्वारा दिनांक 02.02.07 को यथास्थिति बनाए रखने आदेश दिया है, किन्तु प्रतिवादीगण विवादित भूमि पर जबरन कब्जा कर निर्माण कार्य कर रहे हैं। प्रतिवादीगण द्वारा दिनांक 15.03.2014 को जबरन निर्माण कार्य कर लिया है जिससे वादी को अपूर्तिनीय क्षति हो रही है। अतः प्रतिवादीगण के विरुद्ध विवादित भूमि पर निर्माण कार्य न करने एवं वादी के कब्जा बर्ताव में बाधा उत्पन्न न करने के संबंध में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने की प्रार्थना की गई है।

03. प्रतिवादीगण क्रमांक 1, 3 व 7 एवं की ओर से अधीनस्थ न्यायालय में वादी के आवेदन का उत्तर प्रस्तुत करते हुए प्रमुख रूप से यह आधार लिया है कि वादी द्वारा विवादित भूमि पर स्वामित्व होने संबंधी कोई दस्तावेज प्रकरण में प्रस्तुत नहीं किया है। उनके द्वारा विधिवत वयनामा कराकर निर्माण कार्य कराया है। वादग्रस्त भूमि से वादी का कोई संबंध नहीं है। वादी द्वारा गलत रूप से वाद प्रस्तुत किया है। प्रतिवादीगण वादग्रस्त भूमि पर अपने पूर्वजों के समय से ही निवास कर रहे हैं। वादी की ओर से प्रस्तुत वाद निरस्त करने का निवेदन किया है। प्रतिवादी क्रमांक 8, 10 व 12 के द्वारा प्रथम से जबाब प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि उनके मकान वार्ड 5 गोहद नगरपालिका की सीमा में बने हैं, जिन पर वादी को कोई स्वत्व प्राप्त नहीं है। उनके विरुद्ध कोई प्रकरण इस संबंध में संचालित नहीं हुआ है और न ही उनके द्वारा वादी की भूमि पर कब्जा किया गया है। प्रतिवादी क्र. 8 द्वारा रूपसिंह से एवं प्रतिवादी क्रमांक 10 द्वारा गौरीशंकर से भूमि कय की थी और तभी से प्रतिवादीगण उस पर मकान बनाकर निवास कर रहे हैं। प्रतिवादी क्रमांक 12 को घर बटवारे में विवादित स्थल उसे प्राप्त हुआ है जिसका वह स्वत्व एवं आधिपत्यधारी है। प्रतिवादीगण जिन भूखण्डों पर निवास कर रहे हैं उनसे वादी का कोई संबंध नहीं है। वादी द्वारा असत्य आधारों पर आवेदनपत्र प्रस्तुत किया गया है जो निरस्ती योग्य है।

04. वादी की ओर से आवेदन पत्र के समर्थन में शपथ पत्र प्रस्तुत किये गये हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादिया/अपीलार्थी का प्रस्तुत आवेदन पत्र निराकृत करते हुए उक्तानुसार निरस्त किया है जिससे व्यथित होकर यह विविध व्यवहार अपील प्रस्तुत की गई है।

05. अपीलार्थी की ओर से अधीनस्थ न्यायालय के आलोच्य आदेश को विधि एवं तथ्यों के विपरीत होने एवं विधि के मान्य सिद्धांतों के विपरीत होना निरूपित करते हुए अपास्त किये जाने की प्रार्थना की है।

06. प्रत्यर्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने अधीनस्थ न्यायालय के आलोच्य आदेश को विधि अनुरूप होना दर्शाते हुए अपीलार्थी की अपील सारहीन होने से निरस्त किये जाने की

प्रार्थना की है।

07. अपील याचिका पर अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री यजवेन्द्र श्रीवास्तव एवं प्रत्यर्थीगण के अधिवक्ता श्री एन.पी.कांकर. एवं अखिलेश समाधिया के तर्क सुने गये। अधीनस्थ न्यायालय के व्यवहार वाद क्रमांक 164-ए/15 ई.दी. (बालो विरुद्ध रायसिंह आदि) के रिकार्ड का अवलोकन किया गया।

08. अपील के निराकरण के लिए निम्न विचारणीय प्रश्न उत्पन्न होते हैं :-

01. क्या अधीनस्थ न्यायालय द्वारा व्यवहार वाद प्र0 क0 164-ए/15 (बालो विरुद्ध रायसिंह आदि) में पारित आदेश दिनांकित 15.12.15 पारित करने में विधिक और तथ्य संबंधी भूल की गई है?

02. क्या अधीनस्थ न्यायालय द्वारा व्यवहार वाद प्र0क0 164-ए/15 (बालो विरुद्ध रायसिंह आदि) में पारित आदेश अपास्त किये जाने योग्य है?

//सकारण निष्कर्ष//

09. अपीलार्थी/वादी के विद्वान अधिवक्ता ने इन तर्कों पर अत्यधिक बल दिया है कि प्रकरण में पर्याप्त दस्तावेज होते हुए भी विचारण न्यायालय ने कब्जे के संबंध में दस्तावेज न होने का निष्कर्ष निकालते हुए आवेदनपत्र निरस्त किया है वह स्पष्टतः त्रुटिपूर्ण है।

10. अपीलार्थी/वादी का प्रमुख आधार यह रहा है कि वादी के पिता की भूमि सर्वे क्रमांक 728 एवं 735 थी जिसे चम्बल कॉलोनी के लिए अधिग्रहित कर लिया गया था और बदले में खसरा क्रमांक 869 की भूमि दी गई थी, जिस पर प्रतिवादीगण ने अवैध रूप से कब्जा कर लिया है और निर्माण करने का प्रयास कर रहे हैं।

11. प्रकरण के अवलोकन से दर्शित होता है कि वादी की ओर से सम्बत् 2015-19 की खसरा एवं खतौनी की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत की गई है, जिसमें वादी की ओर से अभिकथित सर्वे क्रमांक का लेख है।

12. खसरा पांच साला सम्बत् 2020 लगायत 2024 में सर्वे क्रमांक 728 एवं 735 में

से विकासखण्ड गोहद चम्बल कॉलोनी को आवंटित का उल्लेख है, इसी प्रकार खसरा क्रमांक 869 में उमराय पुत्र करन्जु का नाम भूमि स्वामी के रूप में दर्ज है। प्रतिवादी क्रमांक 1 व 2 की ओर से यह आधार लिया गया है कि सर्वे क्रमांक 735 के स्थान पर 869 के संबंध में वरिष्ठ न्यायालय में मामला विचाराधीन है और दावा प्रचलन योग्य नहीं है। प्रतिवादी क्रमांक 1 व 2 अथवा अन्य प्रतिवादीगण सर्वे क्रमांक 735 अथवा 869 के भूमिस्वामी रहे हो ऐसा कोई दस्तावेज प्रकरण में प्रस्तुत नहीं किया गया है।

13. विचारण न्यायालय ने अपने आलौच्य आदेश में इस बात का उल्लेख किया है कि वादी की ओर से उमराय को प्रदान की गई सर्वे क्रमांक 869 से संबंधित आदेश की प्रतिलिपि प्रस्तुत नहीं की है, किन्तु यदि इस संबंध में प्रकरण में उपलब्ध खसरा कस्बा गोहद की प्रमाणित प्रतिलिपि जो प्रकरण के साथ संलग्न है का अवलोकन किया जाए जो कि एक लोक दस्तावेज है जिसमें स्पष्टतः कॉल क्रमांक 19, 20 में फेरबदल के विवरण के रूप में सर्वे क्रमांक 728 को उमरईया को नाम निरस्त कर उसके स्थान पर विकास खण्ड गोहद का नाम दर्ज किया गया है। इसी प्रकार सर्वे क्रमांक 735 में उमरईया का नाम निरस्त कर चम्बल कॉलोनी का नाम दर्ज किया जाने का उल्लेख है। यहाँ यह भी महत्वपूर्ण है कि सर्वे क्रमांक जो कि वर्तमान में विवादित बताया गया है 869 में प्रकरण क्रमांक 5/59 X 1/17 में सर्वे क्रमांक 869 पर उमराय पुत्र करन्जु जाति कुम्हार का नाम भूस्वामी के रूप में दर्ज किये जाने का उल्लेख है।

14. प्रकरण का निराकरण गुण दोष पर क्या होगा यह गुण दोष का विषय है, किन्तु अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने का प्रथम आवश्यक मूलभूत तत्व प्रथम दृष्टिया मामला और प्रथम दृष्टिया मामले होने पर ही आगामी तथ्य आकृष्ट होते हैं। प्रकरण में वादी की ओर से प्रस्तुत राजस्व दस्तावेजों में वादी की ओर से लिए गए आधार की पुष्टि होती है। ऐसी स्थिति में वादी की ओर से जिस प्रकरण में वादग्रस्त भूमि को दर्ज किया जाने के आदेश प्रदान किए गए हैं उसकी प्रमाणित प्रतिलिपि वर्तमान रिकार्ड पर न होना यह मान्य किये जाने योग्य नहीं है कि वादी का प्रथम दृष्टिया मामला नहीं है, जबकि वादी की ओर से

राजस्व न्यायालय की प्रमाणित प्रतिलिपियाँ जो कि लोक दस्तावेज है रिकार्ड पर है, जिसमें किए गए इन्द्राज वादी का मामला प्रथम दृष्टिया होना पुष्ट करते है।

15. जहाँ तक आपूर्तिनीय क्षति का मामला है, निश्चित रूप से जिस भूमि पर वादी के पिता का नाम लम्बे समय तक दर्ज रहा है जिस पर वादी शेष भाग पर अपना आधिपत्य होना अभिकथित करता है अंतिम निराकरण के पूर्व खुर्दबुर्द कर दी गई अथवा उस पर पूर्ण रूप से निर्माण कर लिया गया तो निश्चित रूप से वादी को आपूर्तिनीय क्षति संभाव्य है और अनावश्यक वाद बाहुल्यता बढेगी।

16. निश्चित रूप से जहाँ कि प्रथम दृष्टिया मामला वादी का दर्शित होता है आपूर्तिनीय क्षति का तत्व वादी के पक्ष में दर्शित होता है वहाँ सुविधा का संतुलन भी वादी के पक्ष में मान्य किये जाने योग्य है।

17. व्यादेश ऐसी न्यायिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक पक्ष कुछ करने की या किसी विशिष्ट कार्य को करने से रोकने की अपेक्षा करता है यह ऐसे निवारित अनुतोष की प्रकृति का होता है जिसके द्वारा मुकदमे का एक पक्षकार भविष्य में आशाकित क्षति को रोकता है । दूसरे शब्दों में न्यायलय द्वारा अंतरिम व्यादेश को मंजूर करने की शक्ति का उपयोग करने पर वाद की विषय-वस्तु तत्समय यथास्थिति के रूप में परिरक्षित हो जाती है । यह निश्चित विधि है व्यादेश की मंजूरी एक विवेकाधिकार अनुतोष के रूप में होती है उसका उपयोग न्यायालय की इन संतुष्टि के अध्यधीन होता है –

1. जिस संपत्ति के संबंध में वाद का विचारण किया जाता है उस संबंध में गंभीर विवाद है और न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये गये तथ्यों से वादी इप्सित अनुतोष के लिये हकदार होना आशायित है ।
2. क्षति का रूप इस प्रकार का है कि पक्षकार को संरक्षण देने के लिये न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप करना आवश्यक है । दूसरे शब्दों में उसके वैध अधिकारों के समक्ष अपूर्णनीय क्षति और नुकसान की स्थिति उत्पन्न हो गई हो जो विचारण से साबितहो जायेगी ।
3. व्यादेश मंजूर नहीं किये जाने से जो कष्ट या रिष्टि या असुविधा होगी वह तुलनात्मक रूप से उससे कहीं अधिक होगी जो इसके मंजूर किये

जाने से दूसरे पक्ष को हो सकती है ।

18. माननीय सर्वोच्च न्यायालय का अपने न्याय दृष्टांत **दोराबजी केवासजी वार्डेन विरुद्ध कूमी सोराब वार्डेन, (1990) 2 एस.सी.सी.117** में किन परिस्थितियों में अस्थायी निषेधाज्ञा जारी किये जाने से इंकार किया जाना चाहिये संबंधी मार्गदर्शक सिद्धांत अभिनिर्धारित किये हैं जो अवलोकनीय है :

“16. The relief of interlocutory mandatory injunctions are thus granted generally to preserve or restore the status quo of the last non-contested status which preceded the pending controversy until the final hearing when full relief may be granted or to compel the undoing of those acts that have been illegally done or the restoration of that which was wrongfully taken from the party complaining. But since the granting of such an injunction to a party who fails or would fail to establish his right at the trial may cause great injustice or irreparable harm to the party against whom it was granted or alternatively not granting of it to a party who succeeds or would succeed may equally cause great injustice or irreparable harm, courts have evolved certain guidelines. Generally stated these guidelines are:

(1) The plaintiff has a strong case for trial. That is, it shall be of a higher standard than a prima facie case that is normally required for a prohibitory injunction. (2) It is necessary to prevent irreparable or serious injury which normally cannot be compensated in terms of money. (3) The balance of convenience is in favour of the one seeking such relief.

17. Being essentially an equitable relief the grant or refusal of an interlocutory mandatory injunction shall ultimately rest in the sound judicial discretion of the Court to be exercised in the light of the facts and circumstances in each case. Though the above guidelines are neither exhaustive or complete or absolute rules, and there may be exceptional circumstances needing action, applying them as prerequisite for the grant

or refusal of such injunctions would be a sound exercise of a judicial discretion.”

19. किन दशाओं में अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाना चाहिये और किन दशाओं में नहीं इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय का न्याय दृष्टांत **हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड विरुद्ध श्रीराम नारायण (2002) 5 एस.सी.सी. 760** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिया गया निम्न संप्रेक्षण अवलोकनीय है :

“8. The decision whether or not to grant an interlocutory injunction has to be taken at a time when the exercise of the legal right asserted by the plaintiff and its alleged violation are both contested and remain uncertain till they are established on evidence at the trial the relief by way of interlocutory injunction is granted to mitigate the risk of injustice to the plaintiff during the period before which that uncertainty could be resolved. The object of the interlocutory injunction is to protect the plaintiff against injury by violation of his right for which he could not be adequately compensated in damages recoverable in the action if the uncertainty were resolved in his favour at the trial. The need for such protection has however to be weighed against the corresponding need of the defendant to be protected against injury resulting from his having been prevented from exercising his own legal rights for which he could not be adequately compensated. The Court must weigh one need against another and determine where the “balance of convenience” lies.

(see Gujrat Bottling Co. Ltd. Coca Cola Co. (1995) 5 SCC 545).

20. प्रकरण में वादी की ओर से जो दस्तावेज प्रस्तुत किए गए हैं प्रथम दृष्टिया वादी की ओर से लिए गए आधार पुष्ट होते हैं कि वादी अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने के पूर्ण आवश्यक तत्व प्रथम दृष्टिया मामला है। प्रथम दृष्टिया मामला एवं आपूर्तिनीय क्षति अपने पक्ष में दर्शित करने में सफल रहा है।

21. अतः उपरोक्त निष्कर्षित एवं विश्लेषित परिस्थितियों में अधीनस्थ न्यायालय ने वादी/अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत आवेदनपत्र आदेश 39 नियम 1 व 2 सहपठित धारा 151 सी.पी.सी. का निरस्त करने में स्पष्टतः विधि के मान्य सिद्धांतों का पालन एवं प्रकरण में उपलब्ध रिकार्ड पर उचित विचार नहीं किया है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय का आलौच्य आदेश स्पष्टतः त्रुटिपूर्ण होकर स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

22. परिणामतः अधीनस्थ न्यायालय का आलौच्य आदेश अपास्त किया जाता है। अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत यह अपील स्वीकार कर आदेश किया जाता है कि प्रतिवादीगण वादी/अपीलार्थी के स्वत्व के खसरा क्रमांक 869 में इस प्रकरण के अंतिम निराकरण तक अन्य कोई निर्माण न तो स्वयं करें और न किसी अन्य के माध्यम से करावे।

23. उभयपक्ष अपना-अपना वाद व्यय स्वयं वहन करेंगे।

24. आदेश की प्रति के साथ आज ही अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड वापस किया जावे।

25. उक्तानुसार व्यय तालिका निर्मित की जाये।

आदेश खुले न्यायालय में पारित

मेरे निर्देश पर टंकित किया गया।

(वीरेन्द्र सिंह राजपूत)
प्रथम अपर जिला न्यायाधीश गोहद,
जिला भिण्ड (म0प्र0)

(वीरेन्द्र सिंह राजपूत)
प्रथम अपर जिला न्यायाधीश गोहद,
जिला भिण्ड (म0प्र0)